Research Inspiration
An International Multidisciplinary-Journal
ISSN: 2455-443X Journal home page: www.researchinspiration.com
Vol. 06, Issue-IV, Sep. 2021

# मध्यप्रदेश में पुलिस बल की संरचना एक अध्ययन
# (A STUDY ON THE STRUCTURE OF THE POLICE FORCE IN MADHYA PRADESH )

**Sudha Narwaria**[a,*]

[a] *Assistant Professor in Law, Govt. M.J.S. P.G. College, Bhind, Jiwaji University, Gwalior, M.P., (India)*

**KEYWORDS**

पुलिस का इतिहास, सदभाव कायम करना, पुलिस का अस्तित्व, राजनीतिक व्यवस्था, राज्य में विशेष सशस्त्र बल, मध्यप्रदेश में पुलिस बल की संरचना।

**ABSTRACT**

प्रत्येक समाज अपने स्थायित्व एवं संगठन को बनाए रखने तथा अपने सदस्यों के बीच सदभाव कायम करने के लिए किसी न किसी तंत्र का विकास अवश्य करता है। पुलिस जन–नियंत्रण का एक ऐसा ही संस्थावद्ध तंत्र है। प्रत्येक समाज में एक वैध उपकरण के रूप में पुलिस के शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए मान्यता प्राप्त होती है। यही कारण है कि विश्व के सभी समाजों में व्यवस्था कायम करने के लिए पुलिस विख्यात है। किसी भी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था हो पुलिस का अस्तित्व सभी समाजों में अनिवार्य माना गया है। इसी कारण पुलिस को सामाजिक नियन्त्रणा के लिए एक विश्वव्यापी तथा अपरिहार्य संस्था के रूप में स्वीकार किया गया है। मध्यप्रदेश में पुलिस प्रशासन गृह विभाग के तहत कार्य करता है। कानून और व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा एवं शांति बनाए रखने में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा शस्त्र अधिनियम अन्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के क्रियान्वयन का कार्य भी पुलिस प्रशासन करता है। पुलिस प्रशासन के दायित्वों में अतिविशिष्ट और विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा, आग की रोकथाम तथा यातायात तीर्थ यात्राओं, मेलो, जलूसों आदि में अपनी सेवा देना भी शामिल है।

**परिचय**

भारत वर्ष में पुलिस का इतिहास मानव सभ्यता के साथ ही शुरू हो गया था। जनता की जान–माल की सुरक्षा और सार्वजनिक सम्पत्तियों की रक्षा के लिए पुलिस का गठन हुआ। वैदिक काल से लेकर मौर्यकाल और मुगलकाल में पुलिस के कामकाज और स्वरूप की झलक इतिहास के पन्नों पर मिलती है। मौर्य काल के पुलिस संगठन के बारे में प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहेन फायहान और हेग सांग ने अपनी किताब में लिखा है। इसी प्रकार मुगल सल्तनत की पुलिस के बारे में आईन–ए–अकबरी में विस्तार से लिखा गया है। पुलिस के आधुनिक स्वरूप का सही मायनों में विकास अंग्रेजी काल में हुआ।

**सेंट्रल प्राविसेंस पुलिस** :

मध्यप्रदेश जो कि ब्रिटिश काल में सेन्ट्रल प्राविसेंस का हिस्सा हुआ करता था, का गठन सन् 1861 में हुआ नए राज्य के गठन के साथ ही पुलिस संगठन के गठन की कवायद आरंभ हुई और पुलिस को नाम दिया गया सेंट्रल प्राविसेंस पुलिस, लेफ्टिनेंट कर्नल एच.डी. टेलर पहले इंस्पेक्टर जनरल नियुक्त हुए। पुलिस का ढांचा तीन भागों में बंटा था, ग्रामीणों शहर ओर खुफिया नामक पुलिस शाखाऐं इंस्पेक्टर जनरल के अधीन काम करती थी। सीपी पुलिस में उस समय 24 अंग्रेज अधिकारी, 6108 पैदल सिपाही 613 घुड़सवार सिपाही का बल कार्यरत था। पूरे प्रदेश को नियंत्रित करने 12 पुलिस अधीक्षक और 9 सहायक पुधिक्षक तैनात किए गए थे। सीपी पुलिस के इतिहास में सन् 1864 का साल महत्वपूर्ण था। पुलिस संगठन को मजबूत बनाने पहला ट्रेनिंग स्कूल खोला गया और कामकाज के नियम बनाए गए। पुलिस मेन्युअल भी इसी वर्ष अस्तित्व में आया सी.पी. पुलिस की वर्दी पगड़ी कोट पतलून पट्टा थी।

मध्यप्रदेश के अस्तित्व में आने से पहले तक मध्य भारत में ग्वालियर स्टेट, इंदौर स्टेट, विंध्य स्टेट, भोपाल स्टेट का अपना पुलिस तंत्र था। रियासतों के इस पुलिस तंत्र की कार्यशैली और उद्देश्यों तो लगभग एक जैसे थे लेकिन वेतनमान, ओहदों और वदियां अलग–अलग थी। ग्वालियर पुलिस का मेनुअल 1853 में पहली बार प्रकाशित किया गया। ग्वालियर पुलिस में कोतवाल, थानेदार, सिपाही और चौकीदार जैसे पद सृजित थे। इंदौर के होलकर राजाओं ने 1872 में सेना और पुलिस को अलग–अलग कर उनके कामकाज के मेन्युअल बनाया। इंदौर रिसायत में इंदौर शहर, निमाड़, रामपुरा और इंदौर जिला को अलग–अलग यूनिट मानकर वहां पुलिस बल तैनात किया था। 1907 में इंदौर शहर में कोतवाली भवन बनकर तैयार हुआ। कोतवाली के मुखिया को शहर कोतवाल कहा जाता था। पुलिस में यह पद काफी महत्वपूर्ण होता था। इसी प्रयकार सन् 1956 से पहले विंध्य रियासत की अपनी पुलिस हुआ करती थी। अंग्रेज पुलिस अधिकारी एजी स्काट रीवा स्टेट पुलिस के पहले इंस्पेक्टर जनरल हुए परी रियासत को दो भागों उत्तर और दक्षिण में विभाजित किया गया था। विंध्य पुलिस को सुगठित और संगठित करने सागर और नौगांव में ट्रेनिंग स्कूल खोले गए । रियासत में लूट, डकैती और ठगी जैसे अपराधों का बोलबाला था जिस पर काबू पाने पूरी रियासत में 144 थाना और 46 पुलिस चोकिया बनाई गई। भोपाल रियासत में पुलिस की स्थापना 1857 में हुई। पुलिस का मुखिया कोतवाल मंवजिम था अधीक्षक कहलाता था जो कि महत्वूपर्ण ओहदा हुआ करता था । भोपाल पुलिस की वर्दी गोल टोपी, खाकी कोट, नीला कट्टा,

*** Corresponding author**
**E-mail:** sudhanarwariya@gmail.com (Sudha Narwariya). https://orcid.org/0000-0002-5409-2321
DOI: https://doi.org/10.53724/inspiration/v6n4.05
Received 15th August 2021; Accepted 10th Sep. 2021
Available online 30th September 2021
2455-443X /© 2021 The Journal. Published by Research Inspiration (Publisher: Welfare Universe). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

तलवार और छड़ी थी। रियासत में पिंडारियों का काफी आतंक था।

**मध्यप्रदेश पुलिस**

1 नवम्बर 1956 में मध्यप्रदेश का निर्माण विंध्य प्रदेश, भोपाल राज्य के महाभारत, पुराने मध्यप्रदेश के कुछ हिस्सों बरार को छोड़कर को मिलाकर हुआ। प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पं. द्वारिका प्रसाद मिश्रा थे। प्रदेश के गठन के साथ ही प्रदेश की पुलिस अस्तित्व में आई जिसे नाम दिया गया मध्यप्रदेश पुलिस । उस समय प्रदेश में 739 पुलिस थाना, 17 उप पुलिस थाना हुआ करते थे। उस समय 23 नए थाना अस्तित्व में आए 31 दिसम्बर 1960 में मध्यप्रदेश पुलिस में 230 राजपत्रित अधिकारी और 15256 पुलिस कर्मचारी थे। मई 1948 में खुफिया विभाग का नए सिरे से गठन किया गया। बी.ए. शर्मा इसके पहले उप महानिरीक्षक बने। डकैत उन्मूलन के मामले में मध्यप्रदेश पुलिस की सफलता उल्लेखनीय रही। चंबल संभाग के भिण्ड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी और दतिया ऐसे जिले थे जहां उस समय डकैतों का काफी आंतक था। मार्च 1953 में पुलिस ने डकैतों के उन्मूलन के लिए एक अभियान चलाया और मानसिंह, सुल्तान सिंह, लाखन सिंह, मालवीय बराही, शंकर गुर्जर, जयराम सिंह, सिरमौर गुर्जर, पृथ्वी गुर्जर जैसे दस्यू सरगनाओं और उनके गिरोहों का खात्मा किया । मध्यप्रदेश पुलिस के इतिहास में 1948 का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इस साल छत्तीसगढ की 14 रियासतों जिनका क्षेत्रफल 31600 वर्ग कि.मी. था का विलय मध्यप्रदेश में हुआ। इन रियासतों में सुरगुना, रायगढ, बस्तर प्रमुख थी, सरकार ने यहां कानून व्यवस्था लागू करने 14 उप महानिरीक्षक के पद सृजित किए पुलिस को पुर्नसंगठित करने 1951 में एक समिति का गठन किया गया । जिसके अध्यक्ष पं. कुंजीलाल दुबे विधानसभा सदस्य थे, सदस्यों में बीहल पांडे, आरसीवपीव नरोन्हा, एसडी शुक्ल, एचआर चंतरेकर, ए.के. दबे शामिल थे।

**मध्यप्रदेश पुलिस का विवरण**

| क्र | विवरण | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | प्रदेश का क्षेत्रफल | 308252 |
| 2 | प्रदेश की जनसंख्या | 72626809 (जलगएरलर 2011) |
| 3 | पुरूष | 37612306 (तदैव) |
| 4 | स्त्री | 35014503 (तदैव) |
| 5 | कुल बल स्वीकृत | 119750 |
| 6 | अनुसचीवीय बल | 3962 |
| 7 | विधि विज्ञान प्रयोगशाला | 604 |
| 8 | चिकित्सा बल | 529 |
| 9 | आई.टी.आई. बल | 55 |
| 10. | पुलिस रेंजो की संख्या | 11 पु.म.नि. जोन 153 म.नि.रेंज |
| 11 | पुलिस जिलो की संख्या | 51, 3 रेल्वे पुलिस अधिकक्षक=54 |
| 12 | पुलिस अनुभागों की संख्या | 185 |
| 13 | पुलिस थानों की संख्या | 1099 |
| 14 | पुलिस चोकियों की संख्या | 579 |
| 15 | आर.ए.पी.टी.सी. | 01 |
| 16 | वाहिनियों की संख्या | 22 |
| 17 | पुलिस थानों की संख्या | 1099 |
| 18 | पुलिस चोकियों की संख्या | 579 |
| 19 | आर.ए.पी.टी.सी. | 01 |
| 20 | वाहिनियों की संख्या | 22 |
| 21 | प्रति दस हजार आबादी पर पुलिसबल | 16.4 |
| 22 | प्रति सौ वर्ग किलोमीटर पर पुलिस बल | 38.8 |

**पुलिस बल**

जिला पुलिस को पूर्ण प्रदेश में 11 जोन, 15 रेंज एवं 51 जिलो में बाटाँ गया है। इसके साथ ही 11 जोन पुलिस महानिरीक्षक, 15 रेंज पुलिस उप महानिरीक्षक एवं 51 पुलिस अधीक्षक पदस्थ है। प्रदेश में विस बल की 22 वाहिनियां है। विसबल शाखा के प्रभारी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक है, जिनके अधीनस्थ 6 पुलिस महानिरीक्षक 3 पुलिस उप महानिरीक्षक, 1 उप पुलिस अधीक्षक एवं 22 सेनानी कार्यरत हैं। प्रदेश के भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग की कुल अधिकृत संख्या 231 है। इनमें से 126 पद संवर्गीय है। 31 मार्च 2009 की स्थिति में संवर्ग में 291 अधिकारी है। केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति का कोटा 50 है, जिसके विरूद्ध 38 पदस्थ है। राज्य पुलिस रीवा संवर्ग में अतिरिक्त पुलिस उप सेनानी के 119 एवं उप पुलिस अधीक्षक/ सहायक सेनानी के 575 पद स्वीकृत है। मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2000 के प्रावधान के अनुसार 34 पुलिस अधीक्षक/सहायक सेनानी के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती एवं 50 प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाते है।

**शाखाऐं**

राज्य में पुलिस के कार्य का संपादन पुलिस महानिदेशक की देखरेख में होता है। पुलिस मुख्यालय को कुछ शाखाओं में बांट कर इन कार्यो का संपादन बेहतर ढंग से किया जाता है।

**प्रशासन शाखा**

इस शाखा का मुख्य कार्य आरक्षक से निरीक्षक संवर्ग तक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नई पदस्थापना, स्थानांतरण, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति आदि है। साथ ही उक्त संवर्ग के कार्यपालिक बल एवं अनुसचिवीय बल की स्थापना संबंधित उलझे विवादार पद प्रकरणों जैसे अवकाश, वेतन निर्धारण, वरिष्ठता, क्रमोन्नति एवं विभिन्न परीक्षाओं में शामिल होने, अन्य विभागों में नियुक्ति के लिए आवेदन देने संबंधी अनुमति, जन्मतिथि का निराकरण का कार्य भी यह शाखा करती है। वर्ष 2017–18 में उ. पुलिस अधीक्षक सवंर्ग के 37 अधिकारियों को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर पदस्थापना की गई। निरीक्षक संवर्ग के कुल 19 अधिकारियों के उप पुलिस अधीक्षक, सहायक सेनानी पद पर पदोन्नत किया गया। इसके अलावा सीधी भर्ती संवर्ग के उप पुलिस अधिकारियों के 81 पदों की शीघ्रपूर्ति के लिए 50 पदों की प्रति पदोन्नति कोटे से करने की छूट प्रदान की गई है।

**कल्याण शाखा** :

मध्यप्रदेश पुलिस कल्याण समिति की स्थापना का उद्देश्य कर्मचारियों तथा उनके परिवार के लिए कल्याणकारी कार्य करना है। इस संस्था की स्थापना अशासकीय तिथियों के तहत की गई है मध्यप्रदेश पुलिस की स्थापना रजिस्टर्ड अशासकीय विधियों केन्द्रीय कल्याण निधि शिक्षा विधि, संवत निधि, परोपकार निधि तथा ऐमिनिटी फंड, स्वाइन फंड, बटालियन फंड इत्यादि का संधारण कल्याण शाखा में ही किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में संकट निधि के तहत 233 पुलिस कर्मियों एवं आश्रितों को 21.27 लाख रूपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई। परोपकार निधि के अंतर्गत 240 प्रकरणों में से 208 प्रकरणों में कर्मचारी अथवा आश्रित के लिए 40.80 लाख रूपये की सहायता प्रदान की गई। शिक्षा निधि के रूप में पुलिस के समस्त कर्मचारियों के सुयोग्य बच्चों को 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस निधि से शासन से 5 लाख रूपये का अनुदान प्राप्त होता है। कर्मचारियों को विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों के लिए कल्याण निधि से खर्च किया जाता है। वर्ष 2016–17 में अनेक कल्याणकारियों पर विभिन्न इकाईयों को 239.56 लाख रूपए की सहायता दी गई।

**शिकायत शाखा**

राज्य में शिकायत शाखा की स्थापना 1980 की गई थी। शिकायत शाखा में राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय केन्द्र शासन, राज्य शासन, राष्ट्रीय एवं राज्य मानव अधिकार आयोग महिला आयोग, सांसदो एवं विधायकों पत्रकारों, पुलिस महानिदेशक एवं अन्य जगहों से प्राप्त शिकायतों की जांच का समन्वयन किया जाता है।

**अपराध अनुसंधान शाखा**

यह शाखा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के सीधे नियंत्रण में कार्य करती है। इसका गठन राज्य पुलिस के अधीन महत्वपूर्ण प्रकरणों की विवेचना के लिए किया गया है अपराध अनुसंधान विभाग के अंतर्गत कुछ प्रकोष्ठ कार्यरत है, इनमें सर्तकता प्रकोष्ठ, बाल सहायता प्रकोष्ठ, विधि शाखा, अपराध एवं शोध प्रकोष्ठ, डकैती प्रकोष्ठ, सायबर अपराध प्रकोष्ठ, टायगर प्रकोष्ठ, एकीकृत प्रकोष्ठ , क्यू.डी. प्रयोगशाला, फोटो शाखा तथा अ.अ.वि. पुलिस थाना शामिल है। विभाग के अंतर्गत चार क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन में कार्यरत है।

**विशेष शाखा**

इस शाखा द्वारा कानून व्यवस्था की स्थिति पर लगातार नजर रखी जाती है। राष्ट्रीय तथा प्रादेशिक स्तर की हर प्रकार की सूचनाओं का संकलन कर शासन एवं संबंधित इकाई प्रमुखों को आवश्यक कार्यवाही के लिए अवगत कराया जाता है। इसके प्रमुख अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी है हपुलिस की इस विशेष शाखा ने नक्सलवादी समस्या, आंदोलन त्यौहारों के दौरान मेलो आदि आयोजन, सांप्रदायिक घटनाओं के साथ–साथ कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा किए गए लाठी चार्ज, टीयर गैस, गोली चलाने और हवाई फायरिंग की जानकारियों का संकलन किया ओर संबंधित इकाइयों को इनसे अवगत कराया । पुलिस सुधार समिति की अनुशंसाओं के आधार पर विशेष शाखा का पुनर्गठन वर्ष 1997 में किया गया था। आमसूचना तंत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाए जाने के लिए 331 पदों की स्वीकृति 5 चरणों में दी गई थी। प्रथम चरण में 65 पद एवं द्वितीय चरण में 65 पदों की स्वीकृति 1 अप्रैल 2010 से प्रभावशील की गई। स्पेशल टास्क फोर्स के गठन हेतु 138 पद स्वीकृत किये गये हैं। राज्य स्तरीय आतंक विरोधी दस्ते के तहत 188 पद स्वीकृत किए गए है। नक्सलाईट विरोधी अभियान के लिए गठित हॉक फोर्स हेतु 451 पद स्वीकृत हुए है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 29 जनवरी 2010 से विशेष दस्ते के गठन हेतु 164 पद स्वीकृत किए गए है।

**योजना एवं प्रबंध शाखा**

इस शाखा का प्रभार अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (योजना) के पास होता है। इनके अधीन पुलिस महानिरीक्षक (योजना) एवं पुलिस महानिरीक्षक (प्रबंध) पदस्थ है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पुलिस बल को आधुनिक बनाकर उसे सभी अत्याधुनिक संसाधनों से सुसज्जित करना है। योजना के तहत पुलिस की कार्यक्षमता, दक्षता में भी गुणोत्तर वृद्धि की गई जाती है।

**पुलिस दूरसंचार शाखा** :

इस शाखा का मुख्य दायित्व राज्य में कानून व्यवस्था, अपराधिक गतिविधियां की रोकथाम प्राकृतिक आपदा, चुनाव, अतिविशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तियों का भ्रमण राष्ट्रीय पर्वो, त्योहारों जूलुसों के दौरान संचार संपर्क उपलब्ध कराना है इस शाखा ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी है। इसके संगठन में रेडियों प्रशिक्षण शाखा इंदौर तथा 4 रेडियो जोन है। वर्ष 2006 से 2009 के मध्य भोपाल एवं जबलपुर में ट्रेकिंग सिस्टम तथा भोपाल, इंदौर व ग्वालियर में आटोमेटिक काल डिस्ट्रीब्यूटर एवं रिकार्डिंग सिस्टम स्थापित किये गए हैं। प्रदेश के पुलिस दूरसंचार नेटवर्क को सुदृढ़ शासक एवं प्रभावी बनाने के लिए जिलों के 326 पुलिस थानों में 20 से 25 मीटर के सेल्फ सपोर्टेड टावरों की स्थापना की गई है।

**प्रशिक्षण शाखा**

इस शाखा का दायित्व राज्य में आरक्षकों से लेकर उपनिरीक्षकों तथा उप पुलिस अधीक्षकों को बुनियादी प्रशिक्षण तथा सर्विस प्रशिक्षण देना है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाऐं कार्यरत है। वर्ष 2017 में जवाहर लाल नेहरू पुलिस अकादमी, सागर में 26 पर्यवेक्षाधीन उप पुलिस अधीक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। इसी के साथ ही वर्ष 2017 में पुलिस प्रशिक्षण स्कूल रीवा, निगरा, भौरी इंदौर, पचमढी और उमरिया में बुनियादी प्रशिक्षण के अंतर्गत 1606 पुरूषों एवं 111 महिला आरक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया । इसके साथ ही 23 सितंबर 2017 में एक अन्य प्रशिक्षण में 1670 नव आरक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। वर्ष 2004 से 09 में सेमीनार प्रशिक्षण आयोजित कर 6000 पुलिस अधिकारियों को भी प्रशिक्षित किया गया। वर्ष 2017 में छः पीतीलस में कुल 66 इन सर्विस कोर्स चलाये गये जिसमें 2444 प्रशिक्षणार्थियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया।

**शासकीय रेल्वे पुलिस**

राज्य में रेल्वे की सुरक्षा की दृष्टि से शासकीय रेल पुलिस (जी.आर.पी.) कार्यरत है। इसका मुख्य दायित्व रेल प्रक्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था संभालना है। अपने दायित्वों के तहत यह चलती रेल गाडियों में अपराधों की रोकथाम यात्रियों के जान माल की सुरक्षा , रेल अथवा प्लेटफार्म में होने वाले अपराधों व घटनाओं को पंजीबद्ध करना व उनकी विवेचना करना आदि कार्य करती है। इसके अतिरिक्त रेल परिसर में होने वाले संगठनों अथवा राजनीतिक दलों के आंदोलन अथवा प्रदर्शन के समय कानून व्यवस्था को बनाए रखना भी इनके दायित्व में शमिल हे। राज्य में जी.आर.पी. के तीन सेक्शन भोपाल, जबलपुर और इंदौर है, जिनमें कुल 28 थाने और 10 चोकियां है। तीनों सेक्शन के लिए कुल पुलिस बल 2533 स्वीकृत है।

**नारकोटिक्स शाखा**

केन्द्र सरकार की मादक पदार्थ नीति के अंतर्गत प्रदेश में पुलिस के अधीन स्वतंत्र नारकोटिक्स शाखा का गठन गृह विभाग के आदेश 25 जनवरी 1998 के आदेश पर किया गया था, शाखा के प्रभारी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नारकोटिक्स होते हैं। उनके अधीन पुलिस महानिरीक्षक नारकोटिक्स भोपाल और इंदौर में पदस्थ है। उक्त शाखा मुख्य रूप से एनडीपीएस एक्ट के महत्वपूर्ण प्रकरणों की मानिटरिंग करती है। साथ ही मादक पदार्थ विरोधी गतिविधियों और नशा विरोधी जनजागृति में अहम भूमिका का निर्वाहन करती है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तथा सेंट्रल ब्यूरों ऑफ नारकोटिक्स मध्यप्रदेश शसन और भारत शासन (गृह मंत्रालय) से सहयोग व समन्वयन स्थापित करते हैं।

**अजाक शाखा**

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं पर घटित अपराधों के त्वरित निराकरण एवं मानीटरिंग हेतु वर्ष 1973 में पुलिस मुख्यालय में अजाक शाखा स्थापित की गई जिसके प्रभारी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अजाक है। उनकी सहायतार्थ 01 पुलिस महानिरीक्षक तथा 01 पुलिस उप महानिरीक्षक पदस्थ है। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत प्रदेश के 50 जिलो में 48 अजाक विशेष पुलिस थाने स्थापित है। इन थानों में पंजीबद्ध

अपराधों के अनुसंधान हेतु 50 जिलो में से 45 जिलों में उप पुलिस अधीक्षक, अजाक की पदस्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रकरणों में पर्यवेक्षण्ण एवं नियंत्रण हेतु 10 पुलिस अधीक्षक अजाक को जोन स्तर पर पदस्थ किया गया है। पुलिस अधिकारियें को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रति संवेदनशील बनाने तथा पुलिस अधिकारियों के व्यवहारिक कार्य में प्रभावशाली परिवर्तन लाने हेतु अजाक शाखा द्वार जोन, रेंज एवं जिला स्तर पर सेमीनार आयोजित किये जाते है। वर्ष 2017–18 में 169 सेमीनार और प्रशिक्षण आयोजित किये गए जिसमें 5916 पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

**राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो**

राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरों के प्रभारी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक होते है। उनके साथ पुलिस महानिरीक्षक की पदस्थापना भी की जाती है। इस शाखा का दायित्व प्रदेश में प्रतिवर्ष घटित होने वाले अपराधों को ब्यौरा तैयार करना होता है। इस ब्यौरा को प्रतिवर्ष क्राइम इन एम.पी. पुस्तक के तौर पर प्रकाशित किया जाता है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश पुलिस की बेवसाईट पर भी उपलब्ध कराया जाता है । राज्य अपराध अनुसंधान ब्यूरो पर वर्ष 2017–18 में सीसी आईएस के सर्वर पर कुल 3787951 रिकार्ड उपलब्ध हुए जिसमें प्रथम सूचना प्रतिवेदन के रिकार्ड 1708947 तथा शेष अन्य डाटा उपलब्ध है।

**अंगुल चिन्ह शाखा**

फिंगर प्रिंट शाखा का दायित्व अपराधियों के फिंगर प्रिंट का रिकार्ड रखना, घटनास्थल से अपराधी के फिंगर प्रिंट खोजना तथा विवादित दस्तावेजों व घटनास्थलों से प्राप्त चांस प्रिंटो का परीक्षण करना है। फिंगर प्रिंट संबंधी कार्य करने के लिए राज्य के हर जिले में एफिस प्रणाली स्थापित की गई है इसमें एक फिंगर प्रिंट विशेषज्ञ को पदस्थ किया गया है।

**विशेष सशस्त्र बल**

राज्य में विशेष सशस्त्र बल की कुल 22 वाहनियां है, जिनमें बल की कुल संख्या 31385 स्वीकृत है। उक्त बल राज्य में कानून व्यवस्था, नक्सल प्रभावित समस्या पर नियंत्रण सांप्रदायिक सदभाव दस्यु उन्मूलन दायित्वों का निर्वहन करना है। बढते हुए आतंकवाद को ध्यान में रखते हु यह बल देश के विशिष्ट व अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाना है। विशेष सशस्त्र बल में खानदन , अश्वारोही दल, बैंड शाखा आदि है । नक्सल विरोधी अभियान के तहत विसबल की हॉक फोर्स का गठन किया है। इसका मुख्यालय मंडला में है तथा परिचालनिक नियंत्रण पुमनि बालाघाट रेंज के अधीन है।

**मध्यप्रदेश होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षाः**

यह एक स्वयंसेवी संगठन है, जिसका उद्देश्य राज्य में आपातकालीन स्थिति में शांति स्थापित करने के लिए पुलिस बल को सहयोग, लोक कल्याणकारी कार्यो में सहायता तथा नागरिक सुरक्षा से संबंधित कार्यो को करना है। राज्य में इसकी स्थापना 1947 में की गई थी। इस संगठन में स्वीकृत बल में 1410 नियमित अधिकारी व कर्मचारी है तथा 16305 होमगार्ड है।

**नक्सलवाद :**

मध्यप्रदेश में अपराध क्षेत्र की सबसे बडी समस्या नक्सलवाद है। राज्य में बालाघाट, मंडला, डिण्डोरी सीधी सिंगरोली, शहडोल, अनूपपुर एवं उमरिया नक्सल गतिविधियों से प्रभावित जिले है। इन जिलो में कम्यूनिष्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) के 4 नक्सली दलम (मजाजखण्ड दलम, टाडा दलम, सत्यम भुईया दलम स्पेशल गुरिल्ला स्क्वाड) सकिय है। प्रदेश में नक्सली गतिविधियों पर प्रभारी अंकुश लगाने एवं नक्सल विरोधी अभियान हेतु नक्सल प्रभावी जिलों में विशेष सशस्त्र बल की कंपनियॉं तैनात की गई है। विसबल एवं जिला पुलिस बल द्वारा संयुक्त रूप से नक्सल विरोधी अभियान के अंतर्गत गश्त, सर्चिंग, सेड पेट्रोलिंग, एम्बुशिंग तथा नक्सलियों के संभावित स्थानों पर छापे की कार्यवाही की जाती है। राज्य का बालाघाट जिला नक्सली गतिविधियों से सर्वाधिक प्रभावित है। सीधी जिले का कुछ क्षेत्र नक्सल प्रभावित है। नक्सली गतिविधियों पर प्रभवी नियंत्रण हेतु हॉक फोर्स का गठन किया गया है। राज्य शासन द्वारा नवीन सृजित नक्सली संगठन कम्यूनिष्ट पार्टी इंडिया (माओवादी) उसके 2 अग्र संगठन क्रांतिकारी विसान कमेटी (के.के.सी.) एवं क्रांतिकारी जन कमेटी (के.जे. सी.) को म.प्र. विशेष क्षेत्र सुरक्षा अधिनियम 2000 के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है।

**निष्कर्ष:**

मध्यप्रदेश में प्राचीन काल से अपने नागरिकों को सुरक्षा एवं शांति प्रदान करता रहा है। प्राचीनकाल में इसका दायित्व सेना पर था और वर्तमान में इस दायित्व को पुलिस को सौपा गया। पुलिस बलों की प्राथमिक भूमिका कानूनों को बनाए रखना और लागू करना, अपराधों की जांच करना और प्रदेश में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। मध्यप्रदेश जैसे बड़े और आबादी वाले राज्य में पुलिस बलों की अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाने के लिए कर्मियों , हथियारों, फोरेंसिक, संचार और परिवहन सहायता के मामले में अच्छी तरह से सुसज्जित होने की आवश्यकता है।

**सन्दर्भ ग्रन्थ सूची**

1. एन.सी. बंधोपाध्याय, कौटिल्य एन एक्सपोजीशन ऑफ हिज सेशल आइडियल एंड पालिटिकल थिंकिंग, अध्याय दस, 1928।
2. बी.एन.मल्लिकय पुलिस एक दार्शनिक विवेचन, यूनाइटेड इण्डिया प्रेस, नई दिल्ली, वर्ष 1970, पृ. 22–23।
3. डॉ बसंन्तीलाल बाबेल, पुलिस प्रशासन अन्वेषण एवं मानवाधिकार, प्रथम संस्करण, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी जयपुर राजस्थान।
4. डॉ. डी. एच. टाडाः मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम एवं विनियमः खेत्रपाल लॉ हाउस, इन्दौर, पेज न. 190।
5. डॉ. परिपूर्णानन्द वर्मा, भारतीय पुलिस (ई.पू. 3000 से 1984 तक) विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, 1984।
6. डॉ. ना. वि. परांजपेः अपराध शास्त्र एवं दण्ड प्रशासनः सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स्, षष्ठम संस्करण 2011, पेज न. 275।
7. डॉ. राजेन्द्र पाराशर, पुलिस एट एडमिनिस्ट्रेशन, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशनस, नई दिल्ली, वर्ष 1986, पृ. 15।
8. पुलिस विज्ञान, हिन्दी त्रैमासिक पत्रिका, अंक–100, जुलाई सितम्बर 2007, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो नई दिल्ली पृष्ठ 14।
9. दि लॉ रिलेटिंग टू इण्डिया एण्ड ईस्ट इण्डिया कम्पनी, 5वां संस्करण, डब्ल्यू.एम. एच. एलेव एण्ड कम्पनी, लन्दन 1865 पृ.194।
10. रिपोर्ट आफ इण्डियन पुलिस कमीशन, 1902–03 (शिमला गवर्नमेन्ट सेन्ट्रल ट्रेनिग आफिस 1903) पृ.8।
11. सुल्तान अकबर खां, पॉवर पुलिस एण्ड पबिलक, विशाल पब्लिकेशन्स कुरुक्षेत्र, वर्ष 1983, पृ. 17–18।
12. सतीशचन्द्र भटनागर, आपराधिक विवेचना
13. यादव रामलाल सिंह (2016) आधुनिक भारत में पुलिस व्यवस्था, विजन बुक प्राईवेट लिमिटेड नई दिल्ली, प्रथम संस्करण ।
14. श्रीवास्तव आर. एस. (1990) विकासशील समाज में पुलिस की भूमिका पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
15. ललितेश्वर (1994) समग्र न्याय व्यवस्था में पुलिस का स्थान एवं भूमिका पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण।
16. नवल हरीश (1992) मादक पदार्थ रू पुलिस की भूमिका पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
17. आदिल महेन्द्र सिंह (2005) संगठित अपराध पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण।
18. कटारिया राजपाल (2009) भ्रष्टाचार निवारण विधि ओरिएंट पब्लिशिंग कंपनी नई दिल्ली, द्वितीय संस्करण।
19. रतन लाल तथा धीरज लालू (2015) भारतीय दंड संहिता लेक्सिस, नेक्सिस, गुड़गाँव, हरियाणा 34वाँ संस्करण हिन्दी रूपांतरण।
20. बजाज चमन लाल, गुप्ता कैलाश नाथ (2010) क्रिमिनल
21. माइनर एक्ट्स सेंट्रल डॉमीनियन लॉ डिपो जयपुर।

22. कपूर शत्रुजीत (आरक्षित द्वितीय संस्करण. 2012) आर्थिक अपराधों का अन्वेषण, राज्य अपराध शाखा हरियाणा ।
23. कुमार अमन एवं सिंह उदयभान (2018) भारत की आंतरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन प्रभात पेपरबैक्स, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण।
24. पुलिस विज्ञान जनवरी–मार्च 1987 अंक 18. पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय नई दिल्ली। पुलिस विज्ञान अप्रैल–जून 1987 अंक 19 पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।

**बेअर एक्टः**

1. भारतीय दण्ड संहिता. 1860
2. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973
3. पुलिस अधिनियम, 1861
4. पुलिस अधिनियम, 1888
5. पुलिस अधिनियम, 1949
6. पुलिस (द्रोह–उद्दीपन) अधिनियम, 1922
7. पुलिस दल (अधिकारों पर निर्बन्धन) अधिनियम, 1966
8. पुलिस दल (अधिकारों पर निर्बन्धन) नियम 1966
9. मध्य प्रदेश विषेश सशस्त्र बल अधिनियम, 1968
10. मध्य प्रदेश विषेश सशस्त्र बल नियम, 1973

**प्रमुख वेबसाइटः**

1. https://indiankanoon.org/
2. https://www.wikipedia.org/
3. https://ncrb.gov.in/
4. https://gwalior.nic.in/en/
5. https://shivpuri.nic.in/en/
6. https://guna.nic.in/en/
7. https://ashoknagar.nic.in/en/
8. https://datia.nic.in/en/

**ऑनलाइन पत्रिकायें / जरनल**

1. Jai Maa Sarawati Gyandayini: An International Multidisciplinary e-Journal, Web: www.jmsjournals.in
2. Research Inspiration: An International Multidisciplinary e-Journal, Web.: www.researchinspiration.com
3. Research Ambition: An International Multidisciplinary e-Journal, Web.: www.researchambition.com
4. Legal Research Development: An International Multidisciplinary e-Journal, Web.: www.lrdjournal.com

**दैनिक समाचार पत्र**

1. दैनिक भास्कर
2. दैनिक जागरण
3. अमर उजाला
4. पत्रिका
5. टाइम्स ऑफ इण्डिया

****************************